

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 2244/11-सी-FP/UP/water/150368/2021, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 03, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त,
बाँदा।

विषय:- उ०प्र० जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत सलईया-नाथूपुरा, लहचुरा-काशीपुरा, धवर्वा-सिजवाहा, शिवहर एवं कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना में पेय जल पाइप लाइन बिछाने हेतु जिला-महोबा में प्रभावित 12.4869 हे० संरक्षित एवं 1.9665 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 14.4534 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 375 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०८/१६९/२०२२/एफ०सी०/२९९, दिनांक २७.०७.२०२२
 2. इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं०-४२८/११-सी-FP/UP/water/150368/2021, दिनांक ०३.०८.२०२२
 3. भारत सरकार का पत्रांक-८बी/यू०पी०/०८/१६९/२०२२/एफ०सी०/५१६, दिनांक १९.०९.२०२२
 4. इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं०-११०७/११-सी-FP/UP/water/150368/2021, दिनांक २१.०९.२०२२
 5. आपका पत्रांक-१४३९/३३-१, दिनांक ०७.११.२०२२
 6. इस कार्यालय का पत्रांक-१६३९/११-सी-FP/UP/water/150368/2021, दिनांक १०.११.२०२२
 7. आपका पत्रांक-२०७७/३३-१, दिनांक ३१.१२.२०२२

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक ०७.११.२०२२ एवं दिनांक ३१.१२.२०२२ द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त पुनः निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गया:-

1. भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक १९.०९.२०२२ के बिन्दु सं०-०२ (कुल आपत्ति क्रम सं०-११) के निराकरण के क्रम में अवगत कराया गया है कि परियोजना में प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्र १२.४८६९ हे० में से वन प्रभाग के अंतर्गत पूर्व में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत हस्तान्तरित/डायवर्ट क्षेत्र ६.९३१३ हे० को घटाने के उपरान्त ५.५५५६ हे० संरक्षित क्षेत्र शेष होता है। इसके अतिरिक्त परियोजना में १.९६६५ हे० आरक्षित वनभूमि प्रभावित है। इस प्रकार विषयगत प्रकरण में भारत सरकार की आपत्ति सं०-३, १० एवं ११ के निराकरण के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना निम्नानुसार संलग्न किया जाना है:-

क्रम सं०	प्रभावित वनभूमि	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना
1.	प्रकरण में प्रभावित १.९६६५ हे० आरक्षित वनभूमि	प्रकरण में प्रभावित १.९६६५ हे० आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख यथा CA का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet & kml file को संलग्न किया जाना है (जोकि प्रस्ताव में पूर्व में संलग्न किया गया है)।
2.	५.५५५६ हे० संरक्षित वनभूमि, (जोकि पूर्व में हस्तान्तरित/डायवर्ट नहीं है)	५.५५५६ हे० संरक्षित वनभूमि, (जोकि पूर्व में हस्तान्तरित/डायवर्ट नहीं है) के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख यथा CA का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet & kml file को संलग्न किया जाना है, जोकि संलग्न नहीं किया गया है। अतः ५.५५५६ हे० संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख यथा CA का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet & kml file को संलग्न कर ऑनलाइन भाग-२ में यथास्थान अपलोड करें।

3.	पूर्व में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत हस्तान्तरित/डायवर्ट क्षेत्र 6.9313 हे० संरक्षित वनभूमि	पूर्व में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत हस्तान्तरित/डायवर्ट क्षेत्र 6.9313 हे० संरक्षित वनभूमि में बाधक वृक्षों के दस गुना वृक्षों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख यथा CA का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet & kml file को संलग्न किया जाना है, जोकि संलग्न नहीं किया गया है। अतः 6.9313 हे० संरक्षित वनभूमि में बाधक वृक्षों के दस गुना वृक्षों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख यथा CA का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet & kml file को संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान अपलोड करें।
----	--	--

2. भारत सरकार की आपत्ति सं०-11 के निराकरण के क्रम में संलग्न की गयी एन०पी०वी० की गणना त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे पृथक करें। प्रकरण में पूर्व में संलग्न की गयी एन०पी०वी० की गणना ही देय है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों को ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड कर संशोधित पूर्ण बिन्दुवार निराकरण तीन प्रतियों में पेनड्राइव सहित इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,



(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 2244/11-सी-FP/UP/water/150368/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।
2. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, महोबा।



(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

